संख्या- 34 /2020/बी-2-195/दस-2020-1/2020

प्रेषक,

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 सितम्बर, 2020

विषय-राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को सामान्य समनुदेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के लेखाशीर्ष "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन'' के अन्तर्गत व्यवस्थित कुल धनराशि रूपये 6200.00 करोड़ (रूपये छः हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से शासनादेश संख्या-27/2020/बी-2-135/दस-2020-2/2019, दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा धनराशि रूपये 516.67 करोड, शासनादेश संख्या-30/2020/बी-2-168/दस-2020-1/2020, दिनांक 14 अगस्त, 2020 द्वारा धनराशि रूपये 516.67 करोड एवं शासनादेश संख्या-33/2020/बी-2-189/दस-2020-1/2020, दिनांक 04 सितम्बर, 2020 द्वारा धनराशि रूपये 516.67 करोड अर्थात कुल धनराशि रूपये 1550.01 करोड़ (रूपये एक हजार पॉच सौ पचास करोड़ एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

2- अब राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत, जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को सामान्य समनुदेशन हेतु धनराशि रूपये 516.67 करोड़ (रूपये पाँच सौ सोलह करोड़ सरसठ् लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है, जिसे मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं हेतु सामान्य समनुदेशन मद में स्वीकृत कुल धनराशि रुपये 2066.68 करोड़ हो जायेगी।

3- पुनर्विनियोग आदेश् संख्या- आर0ई0- 66 /बी2- 197 /दस-2020, दिनांक 14 सितम्बर, 2020 सलंग्न करते हुये इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार व्यवस्थित धनराशि में से अब स्वीकृत की जा रही धनराशि रुपये 516.67 करोड़ निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।

(2) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी।

(4) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायती राज संस्थाओं का बैंक खाता आई.एफ.एस.सी कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(5) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायतीराज उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगें।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगाः-

क्र.सं	पंचायत	लेखाशीर्ष
1.	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 196- जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन"
2.	ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 197- ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन"
3.	ग्राम पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन"

संलग्नक- पुनर्विनियोग आदेश।

भवदीय,

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

संख्या- 34/2020/बी-2-195(1)/दस-2020-1/2020, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2
5- पंचायती राज अनुभाग-3
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम : 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्तीय वर्ष : 2020–2021 प्रपत्र – बी.एम.–9 (भाग–1)

(धनराशि लाख रुपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2 – 5)
1	2	3	4	5	6
3604–00–198–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–01– सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन	573500.00	464999.30	46500.00	46500.00	527000.00
योग –	**573500.00**	**464999.30**	**46500.00**	**46500.00**	**527000.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर (भारित)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
3604–00–196–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–01– सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन	23250.00	23250.00	23250.00	23250.00	46500.00
3604–00–197–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–01– सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन	23250.00	23250.00	23250.00	23250.00	46500.00
योग –	46500.00	46500.00	46500.00	46500.00	93000.00

(1)स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचतें धनराशि व्यय किये जाने की आवश्यकता न होने के कारण है

(2)स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान की धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ–7 में अंकित मदों में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण है ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(विवेक त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग ।

संख्या : आर.ई.–66/बी–2–197/दस–2020, दिनाँक : 14 सितम्बर, 2020

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(विवेक त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग ।

संख्या : बी–2–197(1)/दस–2020, दिनाँक : 14 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)

(विवेक त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग ।